रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2015/आषाढ़ 29, 1937
No. 453] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2015/ASHADHA 29, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 563(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. संख्यांक 38(अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1) डा. (श्रीमती) परविन्दर सोही बेहूरिया, आईआरएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष"
सी-1/9, हुमांयू रोड,
नई दिल्ली-110003

[फा. सं. 1/15/2010-पीआई]
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. संख्यांक 38(अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 684(अ), तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. संख्यांक 441(अ) तारीख 12 जून, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 486(अ), तारीख 21 जून, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 810(अ) तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.नि. संख्यांक 131(अ), तारीख

1 मार्च, 2014 और सा.का.नि. संख्यांक 569(अ) तारीख 7 अगस्त, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 837(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2015

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011.

2. In the said notification, against serial number (1) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

"(1) Dr. (Smt.) Parvinder Sohi Behuria, IRS (Retd.) Chairperson".

C-I/9, Humayun Road,

New Delhi-110003

[F. No. 1/15/2010-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, number G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014, G.S.R. 569(E), dated the 7th August, 2014 and G.S.R. 837(E), dated the 24th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.